



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220694
CG-DL-E-27072020-220694

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2157]
No. 2157]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/श्रावण 5, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

का.आ. 2444 (अ).— भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा गठित रावी और ब्यास जल अधिकरण में न्यायाधीश वी.बालकृष्ण एराडी की मृत्यु के परिणामस्वरूप एक पद रिक्त हुआ है;

और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 ए के अधीन उक्त रिक्त पद को भरने के लिए श्री अशोक भूषण, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय को नामनिर्दिष्ट किया है;

और, रावी और ब्यास जल अधिकरण में न्यायाधीश पी.सी. बालकृष्ण मेनन के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप एक पद रिक्त हुआ है;

और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उक्त अधिनियम, की धारा 5 ए के अधीन उक्त रिक्त पद को भरने के लिए श्री सुमन श्याम, न्यायाधीश, गुवाहाटी, उच्च न्यायालय को नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, मद (1) और मद (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्: -

“(1) न्यायाधीश-श्री अशोक भूषण, - अध्यक्ष

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

(3) न्यायाधीश-श्री सुमन श्याम, - सदस्य”।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम पर,

[फा.सं.N-59021/1/2020-बीएम]

यू.पी. सिंह, सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, संख्यांक का. आ. 169 (अ) तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 3234 (अ), तारीख 18 नवंबर, 1996 द्वारा संशोधित की गई थी और का.आ. 666 (अ) तारीख 10 जून, 2003 द्वारा और संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

S. O. 2444(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Ravi and Beas Waters Tribunal, constituted by the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources vide notification number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986 (hereafter referred to as the said notification), consequent due to the death of Justice V. Balakrishna Eradi;

And whereas, the Chief Justice of India has nominated Mr. Justice Ashok Bhushan, Judge, Supreme Court to fill the said vacancy under Section 5A of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter referred to as the said Act);

And whereas, a vacancy in the Ravi and Beas Waters Tribunal has occurred consequent on the resignation of Justice P.C. Balakrishna Menon;

And whereas, the Chief Justice of India has nominated Mr. Justice Suman Shyam, Judge, Guwahati, High Court to fill the said vacancy under section 5A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 14 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the said notification, namely:-

In the said notification, for item (1) and item (3) and the entries relating thereto, the following items shall be substituted, namely:-

“(1) Shri Justice Ashok Bhushan, - Chairman

Judge of the Supreme Court

(3) Shri Justice Suman Shyam

Judge of Guwahati High Court

- Member”.

By Order and in the Name of the President of India,

[F. No. N-59021/1/2020- BM]

U.P. SINGH, Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O.169(E), dated the 2nd April, 1986 and subsequently amended vide S.O.3234(E) dated the 18th November, 1996, and further amended vide S.O. 666(E) dated 10th June, 2003.